(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1192-एक/ 2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-6-2015 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 243 अ-6/2007-08 अपील

बैसाखू गौड पुत्र रूक्खन साह गौड
ग्राम बासडोंगरी तहसील तामिया
जिला छिन्दवाड़ा , मध्य प्रदेश
——आवेदक

विरूद्ध

1- प्रभूदयाल 2- कैलाश 3- यशवंत
4- कामतापसाद 5- रामताप्रसाद
सभी पुत्रगण स्व. कोदूंदाल
6- श्रीमती गोमतीवाई पत्नि स्व. कोंदूलाल
सभी ग्राम बिजोरी तहसील तामिया
जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0
——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 24 - 12 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 243 अ-6/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-6-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने ग्राम बांसडोंगरी की भूमि सर्वे क्रमांक 142 रकबा 5-92 एकड़ पर नामांत्रण किये जाने का आवेदन तहसीलदार तामिया को दिया । तहसीलदार तामिया ने प्र.क्र. 22 अ-6/05-06 पॅजीबद्ध किया तथा अनावेदकगण का नामान्तरण इस आधार पर करने वावत् आदेश दिनांक 20-4-07 पारित किया :-

" आवेदक कोदूलाल कतिया के व्दारा विभिन्न न्यायालयों में वाद लाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के न्यायालय में अनावेदक के व्दारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमें धारा 170 (ख) के अंतर्गत आदेश पारित कर कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। जिसके विरूद्व आवेदक कोदूलाल व्दारा न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त भूमि पैत्रिक संपत्ति है जिस पर उचित न्याय दिलाया जावे। उक्त अपील प्रकरण में स्थगन दिया गया तथा दिनांक 19–7–99 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी जुन्नादेव के आदेश को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व में अनावेदक बैसाकु पिता रूक्खनसा गोड निवासी ग्राम वांसडोंगरी व्दारा माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा के व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–7–99 को यथास्थिति माना गया। उक्त आदेश के तहत इस न्यायालय के रा.क. क. 14 अ–6/03–04 में आवेदक प्रभूदयाल पिता कोदू कतिया निवासी ग्राम विजारी का नाम ग्राम वांसडोंगरी की भूमि पर नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 7–6–04 को पारित किया गया, के अनुसार आवेदक प्रभूदयाल के पिता कोदूलाल कठिया निवासी ग्राम बिजोरी का नाम ग्राम वांसडोंगरी की भूमि पर दर्ज हो चुका है किन्तु अन्य हितबद्व पक्षकारों का नाम दर्ज किये जाने हेतु अपील प्रकरण में निर्देशित किया गया है।

उक्त के पालन में तहसीलदार तामिया ने आदेश दिनांक 20–4–07 से ग्राम बांसडोंगरी की भूमि सर्वे कमांक 142 रकबा 5–92 एकड़ पर अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित किया है।

तहसीलदार तामिया के उक्तादेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव व्दारा प्र.क्र. 45 अ–6/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–11–2007 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दि. 20–4–07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष तीन निम्न अपील्स प्रस्तुत हुई :–

प्रकरण कमांक 243/2007–08 अ–6

प्रकरण कमांक 232रु2007–08 अ–70

प्रकरण कमांक 202/08–08 अ–6

आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर ने तीनों अपील प्रकरणों में संयुक्त आदेश दिनांक 22–6–15 पारित किया तथा अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के आदेश दिनांक 2–11–2007 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दि. 20–4–07 को यथावत् रखा। आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव ने आदेश दिनांक 2-11-07 से तहसीलदार तामिया के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के आदेश दिनांक 2-11-07 को अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग ने निम्नानुसार विवेचना करते हुये निरस्त किया है :-

" अनुवभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के समक्ष उत्तरवादी (बैसाखू) ने एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 170 ख के तहत प्रस्तुत किया गया, जो आदेश दिनांक 19-6-98 से स्वीकार करते हुये उपरोक्त भूमि पर उत्तरवादी का नाम दर्ज कया जाकर उक्त भूमि का कब्जा तहसीलदार तामिया व्दारा उत्तरवादी को दिला दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण व्दारा अपील कलेक्टर छिन्दवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। कलेक्टर व्दारा अपने आदेश दिनांक 19-7-99 व्दारा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 19-6-98 को निरस्त कर दिया गया तथा कलेक्टर ने यह माना कि उक्त प्रकरण में कपटपूर्ण संव्यवहार नहीं है तथा उक्त प्रकरण संहिता की धारा 170 ख की परिधि में नहीं है। उत्तरवादी ने कलेक्टर के समक्ष आदेश दिनांक 19-7-99 के विरूद्व अति.कमिश्नर जबलपुर संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अति.कमिश्नर व्दारा अपने आदेश दिनांक 6-2-07 में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 19-7-99 की पुष्टि की और कहा कि उक्त प्रकरण संहिता की धारा 170 ख के तहत प्रचलनीय नहीं है। उत्तरवादी ने अति.कमिश्नर के आदेश दिनांक 6-2-07 को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। अतः आदेश दिनांक 6-2-07 उत्तरवादी पर बंधनकारी है। अपीलार्थीगण व्दारा कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 19-7-99 एंव अति. मिश्नर व्दारा पारित आदेश दिनांक 6-2-07 के अनुपालन में न्यायालय तहसीलदार को एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 110 के तहत प्रस्तुत किया और कहा कि विवादित भूमि मौजा वांसडोंगरी खसरा नंबर 1412 रकबा 2-395 में अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव के आदेश दिनांक 19-6-98 के आधार पर उक्त भूमि पर उत्तरवादी का नाम दर्ज कर कब्जा दिला दिया गया था। अब पुनः उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे। तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 7-6-2006 को विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया।

इस प्रकार अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने निर्णीत किया है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-6-06 वरिष्ठ न्यायालय अति.कमिश्नर जबलपुर संभाग के आदेश दिनांक 6-2-07 एंव कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 19-7-99 के पालन में है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है, इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील ग्राह्य करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक

7-6-06 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि की गई है। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 6-2-07 के अवलोकन से आदेश दिनांक 22-6-15 में निकाले गये निष्कर्षो में विसंगति नहीं पाये जाने से निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 243 अ-6/ 2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-6-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर